जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनाँक 25.07.2025

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजय सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 560/2025 धारा 137(2), 87, 64(1) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अनीष यादव पुत्र जोखन यादव निवासी गिरधरपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 25.07.2025 को जूनियर हाईस्कूल गोला बाजार के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 28.06.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी की बहन को अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 25.07.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री मनीष कुमार जायसवाल, का0 कृष्णनारायण गोंड, का0 अरुण कुमार।

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा 02 वारण्टीगण 01. लालचन्द्र पुत्र रामफेर ग्राम गागरगाड़ थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 02. फूलचन्द्र पुत्र रामफेर साकिनान गागरगाड़ थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सचिन्द्र कुमार राय, हे0का0 बदरे आलम, का0 मुकेश कुमार, का0 हरेन्द्र यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5999 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5999 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत मड़पौना से कालर द्वारा बोलेरो और बाइक में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1.गगन पुत्र रंजीत ग्राम धौरेपार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- हे0का0 राजेश यादव, का0 हरिशंकर शाह, हो0चा0 सोमनाथ ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 114 वाहनों से 1,35,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 25.07.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 114 वाहनों से 1,35,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 363/2025 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सोनू पुत्र धनेश हरिजन साकिन जगदीशपुर भलुआन थाना गगहा जिला गोरखपुर को बसवारीगाँव पुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा थाना धनघटा पर वादी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 25.07.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामदरश यादव, का0 गौरव चौहान, का0 सलमान अंसारी।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा मु0अ0स0 185/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सचिन उर्फ गोलू पुत्र चन्द्रभूषण गौतम निवासी कुल्हड़िया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को लोहरसन रमवापुर मिश्र रोड़ के मोड़ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 21.07.2025 को थाना बेलहरकला पर वादी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 25.07.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री सुरेन्द्र प्रसाद, का0 रविन्द्र निषाद।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप छेड़खानी व पाक्सो एक्ट के मामलें में अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 1500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 25.07.2025 को ***माननीय न्यायालय ए0एस0जे/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 1500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 1267/2017 धारा 354 (क) भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त बेचन बेलदार उर्फ पुजारी पुत्र चाँदबली निवासी सांखी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 354 (क) भा0द0वि0 व धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1500 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास से भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 25.07.2025 को ***माननीय न्यायालय सीजे(एसडी)एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 171/2020 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त रामअवतार निषाद पुत्र स्व0 राजमन निवासी गगनई बाबू थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।